employment exchange shall be the last date up to which the employment exchange is asked to submit the names.	

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation\absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
No	Two years	By promotion failing which by Deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grade from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Confirmation Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Instructor fromVocational Guidance Department in the level 2 (Rs.19,900-63,200) in the pay matrix with eight years' regular service in the grade. Deputations (including short term contract): Officers of the Central Government or State/Government; (a) (i) holding analogous post on regular basis' or (ii) with eight years regular service in the post in level 2 (Rs.19900-63,200) of the pay matrix. (b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note:-** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organisation/department shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by deputation/observation shall be "Not exceeding 56 year's as on the closing date of receipt of applications".	**DepartmentalPromotion Committee for Group 'C' for considering Confirmation/ Promotion (consisting of):-** 1. Additional Director -Chairman 2. Professor (Physical Medicine and Rehabilitation) - Member 3. Deputy Director (Rehab) -Member 4. Concerned Head of Department –Member	Not applicable.

[F. No. A.11018/47/2016-MH. II/NCD.I]

DHARMINDER SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. 122.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में प्रभारी अधिकारी (ऐम्बुलेंस) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, प्रभारी अधिकारी(ऐम्बुलेंस), (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि-** भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ(13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता**: वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति**: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रभारी अधिकारी(ऐम्बुलेंस)	1* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रुपये)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य-क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी,- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6(35400-112400 रुपये) या समतुल्य में नियुक्ति के बाद नियमित आधार पर पाँच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों: (i) मोटर कार चलाने का विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति; (ii) मोटर क्रियाविधि का ज्ञान (अभ्यर्थी को यानों की छोटी-मोटी खराबियों को दूर करने के योग्य होना चाहिए); (iii) मोटर कार चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव और 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण। **वांछनीय:** होम गार्ड या स्वयंसेवक के रूप में तीन वर्ष की सेवा। **टिप्पण :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं हैं।

[फा. सं. ए.12018/06/2019-एमएच II]

गणेश कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 8th Septmber, 2022

G.S.R. 122.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Officer In-charge (Ambulance) in the Safdarjung Hospital, New Delhi namely:-

1. **Short title and commencement. - (1)** These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, the Safdarjung Hospital, New Delhi, Officer In-charge (Ambulance),(Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix.**– The number of the said posts, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid schedule.

4. **Disqualification.**– No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, and in consultation with the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving .-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether Selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Officer in-Charge (Ambulance)	1* (2022) Subject to variatio dependent upo workload.	General Central Service, Group 'B', Non- Gazetted, Non- Ministerial.	Level 7 in the pay-matrix (Rs.44900-142400)	Not applicable

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruitment.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.
(6)	(7)	(8)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grade from which promotion or deputation / absorption to be made
(9)	(10)	(11)
Not applicable	Deputation	**Deputation :** Officers of the Central Government or the State Governments or Union territories : (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) With five years' service to the post on regular basis rendered after appointment in Level-6 in the pay matrix (Rs.35400–112400/-) or equivalent in the parent cadre or department ; and (b)possessing the following educational qualifications and experience: (i) possession of valid driving license for motor cars; (ii)Knowledge of motor mechanism (the candidate should be able to remove minor defects in vehicles). (iii) Experience of driving a motor car for at least three years and passed in 10th Standard. **Desirable:** Three years' service as Home Guard or Service Volunteer. **Note:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation /department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The Maximum age limit for appointment by deputation

		shall be Not exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Services Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A.12018/06/2019-MHII]

GANESH KUMAR, Under Secy.

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

(पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग)

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2022

सा. का. नि. 123.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग, वर्ग 'ग' पद भर्ती नियम, 2013 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसेअधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उत्तरपूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग में ज्येष्ठ सचिवालय सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय शिलांग, ज्येष्ठ सचिवालय सहायक (वर्ग 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर–उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूचि के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि –उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूचि के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति :** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति :** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।